निर्देश

विषय: भारतीय दूरसंचार विनियमक प्राथिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (वी) के उपखंड (i) और (v) के साथ पद्धत धारा 13; दूरसंचार (प्रसारण एवं कंबल सेवाएँ) इंटरक्यूबे नियम (डिजिटल पूर्वसेवा कंबल टेलीविजन सिस्टम) नियम, 2012 के विनियम 4 के उपविनियम (9) और विनियम 5 के उपविनियम (11) के तहत मैसर्स टीवी 18 ब्रोडकास्ट लिए लिए निर्देश।

सं.17-31/2015-बीएंडसीएस--- भारतीय दूरसंचार विनियमक प्राथिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियमक प्राथिकरण (जिसे इसमें आगे प्राथिकरण कहा गया है) के दूरसंचार सेवाओं का नियमण करने; सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरक्यूबेटिविटी के नियम एवं उनको सन्तुलित करने; सेवा प्रदाताओं के बीच टेक्निकल कंपेटिशनतिवि और भाषावी इंटरक्चर्कनेक्शन सुनिश्चित करने; सेवा प्रदाताओं द्वारा मुद्दाया कराए जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक तय करने और इन सेवा प्रदाताओं द्वारा मुद्दाया कराई गई ऐसी सेवाओं का आवश्यक संचालन करना ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सकें, सेवा---साथ कलिक्य कार्य किया करने को जिम्मेदारी साँपी गई है;

2. और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), भारत सरकार की अपनी अधिसूचना संख्या 39 के तहत---

(क) जो भादूविश्रा अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (क) के परंतुक के अंतर्गत कंड्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(ख) जो भारत के राजपत्र, असाध्यरण, भाग III, के धारा 4 में तिथि 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं0 एसओ. 44 (ई) के तहत प्रकाशित हुई थी,-

दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रसारण सेवाएं और कंबल सेवाएँ अधिसूचित की हैं;

3. और प्राथिकरण ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना 39 के साथ पद्धत भादूविश्रा अधिनियम, 1997 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30
अप्रैल, 2012 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) इंटरकनेक्शन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन सिस्टम) विनियम 2012 (2012 का 9) (जिसे इसमें आगे इंटरकनेक्शन विनियम कहा गया है) बनाया है;
4. और एमआरसी और प्रसारकों के बीच इंटरकनेक्शन से संबंधित उपबंधों वाले इंटरकनेक्शन विनियम और इसे पिनामुशाय पढ़ा जाएँ--

“3. इंटरकनेक्शन के संबंध में सामान्य उपबंध(1) टीवी चैनलों का कोई भी प्रसारक अपने चैनलों के वितरण के लिए किसी भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के साथ अन्य संबंध सहित किसी प्रक्रिया या कार्य या समझौता या अधिनियम में शामिल नहीं होगा, जो वितरण के लिए ऐसे टीवी चैनलों को प्राप्त करने से दूसरे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को रोकते हैं।

(2) प्रत्येक प्रसारक वगैर दूसरी भेदनाय से अपने टीवी चैनलों के सिग्नल केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 11 के तहत पंजीकृत प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को उसके द्वारा अनुरोध किए जाने पर प्रदान करेगा।

परंतु इस उपविनियम की कोई भी बात उस मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के मामले में लागू नहीं होगी जो शुरुआत का चुकाती है।

परंतु यह भी कि यह ऐसी शर्त रखना जो अनुभव हो, उसे अनुरोध को अस्वीकार करना माना जाएगा।

परंतु यह भी कि इस उपविनियम की कोई भी बात ऐसे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के मामले में लागू नहीं होगी, जो प्रसारकों से किसी टीवी चैनल वितरण के सिग्नल को मांग करता है, जबकि उसी दौरान अपने वितरण प्लेटफॉर्म पर उक्त चैनल को ले जाने के लिए कैश चुकाव की मांग करता है।

(3) प्रत्येक प्रसारक या उसका अधिकृत एजेंट को अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के अंदर इसके संदर्भ इंटरकनेक्शन प्रसारण या जेसी परस्पर सहमति हो, के अनुसार मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को टीवी चैनलों के सिग्नल प्रदान करेगा और अगर टीवी चैनल के सिग्नल प्रदान करने के अनुरोध पर सहमति नहीं है तो चैनल प्रदान नहीं करने के कारण के बारे में अनुरोध की तारीख से सात दिनों अंदर अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सूचित करेगा।

(4) प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर प्रसारकों से इंटरकनेक्शन मांगते समय यह सुनिश्चित करेगा कि टीवी चैनलों के वितरण के लिए संस्थापित इसका डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम इन विनियमों की अनुसूची I में निर्दिष्ट डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम की शाँति को पूरा करता है:

परंतु यह कि अगर प्रसारक को पता चलता है कि टीवी चैनलों के लिए वितरण के लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम अनुसूची I में निर्दिष्ट शांति को पूरा नहीं करता है तो इसकी सुचना मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को दी जाएगी जो अपने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम की लेखा-परीक्षा मैनेजर ब्राउकोस्ट इंजीनियरिंग कंपनी इंडिया लिए. या समय-समय पर जारी किए गए निर्देश के तहत किसी एजेंटी, जो प्राधिकृत द्वारा निर्दिष्ट की जाए, से कराएगा और ऐसी एजेंटी से इस आशय का प्रामाण्यता प्राप्त करेगा कि इसका सिस्टम इन विनियमों की अनुसूची I में निर्दिष्ट शांति को पूरा करता है.
परंतु यह भी कि पहले परंपराक संबंध में एजेंसी के निष्कर्ष अंतिम होंगे।" 

5. और मैसर्स इंडिया टेलीविजन प्र. लि के लिए और की ओर से मैसर्स इंडिया कॉस्ट यूटीवी मीडिया हिस्ट्रीज्यूजन प्र. लि. ने प्राथिकरण को विभिन्न एक्सेबल सिस्टम (डीएसएस) के जरिये कंबल टीवी सेवाएं मुहैया करने के लिए पंजीकृत विभिन्न मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) के साथ किए गए पत्राचार की एक प्रति अपेक्षित की है; 

6. और ऊपर पृष्ठ 5 में वर्णित आशय पत्रों की विषय-वस्तु की जाँच की गई थी और यह नोट किया गया था कि एमएसओ द्वारा अपने उपभोक्ताओं को पुन: प्रसारित करने के लिए टीवी चैनलों के सिग्नलों की मांग के अनुरोध को प्रसारकों द्वारा सेवा प्रदान करने द्वारा मांगी गई सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर अस्वीकृत किया गया और अपने निर्णय की सूचना ऐसे एमएसओ से अनुरोध प्राप्त करने की तारीख से सात दिनों के बाद एमएसओ को दे दी गई थी; 

7. और प्राथिकरण ने दिनांक 14 अगस्त, 2015 के अपने पत्र द्वारा मैसर्स टीवी 18 ब्रोडकास्ट लि. से टीवी चैनलों के सिग्नल प्रदान करने के लिए एमएसओ से उनके द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की प्रतियां और सूचना का विवरण देने और इंटरकनेक्शन विविधता के विविधताओं 3 के उपविविधता (3) के उपविविधता का अनुपालन करने में उनकी विफलता के कारण बताने के लिए कहा था, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाए--

"3. इंटरकनेक्शन के संबंध में सामान्य उपविविध--

----------

(3) प्रत्येक प्राप्तकर ने उसका अधिकृत एजेंट को अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के अंदर इसके संदर्भ इंटरकनेक्ट प्रदान या जैसी परस्पर सहमति हों, के अनुसार मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को टीवी चैनलों के सिग्नल प्रदान करेगा और अगर टीवी चैनल के सिग्नल प्रदान करने के अनुरोध पर सहमति नहीं है तो सिग्नल प्रदान नहीं करने के कारण के बारे में अनुरोध की तारीख से सात दिनों अंदर अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सूचित किया करेगा;

8. और मैसर्स टीवी 18 ब्रोडकास्ट लि. ने 18 अगस्त, 2015 के अपने पत्र के साथ उनके द्वारा अन्य प्रसारकों के लिए और की ओर से एमएसओ के साथ किए गए पत्राचार की एक प्रति अपेक्षित की है, जिसमे अयोग्य के साथ-साथ सूचना का विवरण और निम्नानुसार दस्तावेज संलगन किए गए हैं जो सिग्नल प्रदान करने के लिए एमएसओ से मांगे गए थे--

(क) प्रत्येक क्षेत्र/नगर/शहर, जिसमें अधिकृत प्रदान करना चाहिए है, के लिए वेब एवं वर्तमान डाक पंजीकरण प्रमाणपत्र और डीएसएस लाइसेंस,

(ख) कंपनी से संबंधित सभी संबंधित दस्तावेज, इसमें आगे अनुलग्नक-क में दिए गए हैं;

Page 3 of 7
(ग) केबल बिछाने के लिए अपेक्षित अनुमति के साथ भूमि के नीचे और भूमि के ऊपर केबल खालने को
दर्शाने वाला नक्षा। नक्षे पर प्रति—हस्ताक्षर होने चाहिए;

(घ) वेबकी प्रमाणपत्र;

(ड) प्रशासकीय/केबल ऑपरेटर/सब-ऑपरेटर के पते और युक्ति कॉनेक्टिविटी/उपभोक्ताओं की संख्या
के साथ परिचालन के संबंधित क्षेत्रों के विवरण सहित प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं की संख्या का ब्योंका।

(घ) सिग्नलों के ट्रांसमिशन (बाहर भूमिगत हों या शिरोपार हों) के माध्यम का विवरण और इस संबंध में
स्वीकार प्राधिकारी से प्राप्त की गई अनुमति की प्रति;

(छ) आपके द्वारा और आपकी प्रशासकीय केबल ऑपरेटर (यदि कोई हो) द्वारा इस्तेमाल किए गए
उपकरण को दर्शाने वाला प्रमाणपत्र जैसा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम), 1995 में निर्देशित किया
गया है;

(ज) अगर लागू हों तो पिछले तीन वर्षों के लिए सांविधिक अनुपालन को दर्शाने वाला स्टेट्मेंट;

(झ) आपकी नवीनतम आय कर विवरणी।

(ञ) इस्तेमाल किया गया उपकरण बीआईएस मानकों के अनुरूप है, इसको प्रमाणित करने वाला
प्रमाणपत्र;

(ट) जहार कहीं अपेक्षित हों, व्यक्ति को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अनुमोदित करने की स्वीकृति
के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण;

(उ) नक्षे के साथ परिचालन के क्षेत्र की सच्ची और सही सूची; और

(ऋ) संथापित किए जाने वाले डिजिटल एंड्रॉयड हेड—एंडर्स की संख्या।

9. और मैसूर स्टीवे 18 ब्रोडकास्ट लि. ने दिनांक 18 अगस्त, 2015 के अपने पत्र द्वारा यह भी सूचित
किया है कि चैनलों को अस्वीकार करने के कारण की सूचना एमएससी को साठ दिनों की अवधि के अंदर
दे दी गई थी, जैसा कि इंटरकनेक्ट विनियमों में प्राप्तवार्ता किया गया है और चूकि अनुरूपक कम थे इसलिए
इसे इंटरकनेक्ट विनियमों के उपड़ों के तहत मायने अनुरूप नहीं माना जा सकता था;

10. और प्राधिकरण ने पिछले पैरा में उल्लिखित मैसूर स्टीवे 18 ब्रोडकास्ट लि. के उत्तर की जांच की
और सेवा प्रदाताओं से पूछति कि प्रसारकों द्वारा भरे गए निम्नलिखित विवरण/दर्शावें भूमि के टीवी
चैनलों के सिग्नलों के लिए मना करने हेतु अनुमोदित शैल रखने के रूप में व्यूह नहीं माना जाना चाहिए;

(क) प्रश्नाक्षर जनर/शहर, जिसमें आप नवाचार प्रदान करना चाहते हैं, के लिए वैध एवं वर्तमान इंकार
पंजीकरण प्रमाणपत्र और डीएसएस लाइसेंस;

(ख) केबल बिछाने के लिए अपेक्षित अनुमति के साथ भूमि के नीचे और भूमि के ऊपर केबल खालने को
दर्शाने वाला नक्षा। नक्षे पर प्रति—हस्ताक्षर होने चाहिए;
(g) बेबाकी प्रमाणपत्र;

(h) उनके कंप्यूटरी/केबल ऑप्टर/सब-ऑप्टर के पते और उनकी लेटेस्ट/उपभोक्ताओं की संख्या के साथ परिचयल के संबंधित क्षेत्रों के विवरण सहित एमएसओ प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं की संख्या का व्याख्या।

(इ) सिग्नलों के ट्रांसमिशन (वाहे पूर्णता हो या शिक्षा परिपूर्ण हों) के माध्यम का विवरण और इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गई अनुमति की प्रति;

(च) अगर लाभ हो तो विषले तीन वर्षों के लिए सावधानक अनुपालन को दर्शाने वाला स्टेटमेंट;

(छ) एमएसओ की नवीनतम आय कर विवरणी।

(ज) इसमेनल किया गया उपकरण शीआईएस मानकों के अनुरूप है, इसको प्रमाणित करने वाला प्रमाणपत्र; और

(झ) एमएसओ के बिजली के पहलुओं को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाले डस्टडेक्स।

11. और मैसर्स स्टीव 18 ब्रोडकास्ट लि. ने अपने दिनांक 11 सितंबर, 2015 के पत्र द्वारा मांग करने वाले एमएसओ से सूचना और डस्टडेक्स मांगने के कारण बताए हैं;

12. और प्राधिकरण ने मैसर्स स्टीव 18 ब्रोडकास्ट लि. से प्राप्त उत्तर की जांच की है और पाया है कि प्रसारकों द्वारा मांगी गई कार्यक्रम सूचना/डस्टडेक्स न तो सिग्नलों की आपूर्ति से संबंधित हैं और न ही डीएिएस हेतु विनियमक प्राधिकरण के उपबंधों के अनुरूप हैं;

13. और इंटरकनकेक्शन विनियमों का विनियम (4) का उपविनियम (9) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्राधिकरण करता है—

“(9) प्राधिकरण उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने और प्रसारण एवं केबल सेवाओं के क्रमबद्ध विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं को अपने संबंध इंटरकनेक्शन प्राधिकरण में संबंधित करने का निर्देश दे सकता है।”

14. और इंटरकनकेक्शन विनियमों का विनियम (5) के उपविनियम (11) में यह प्राधिकरण है कि प्राधिकरण प्रसारकों और एमएसओ के बीच इंटरकनकेक्शन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रसारकों और मल्टी सिस्टम ऑप्टररों, को ऐसे निर्देश, जो उचित समझे जाएं, जारी कर सकता है। संबंधित उपबंध को निम्नानुसार पढ़ा जाएं—

“(11) अगर प्रसारक और मल्टी सिस्टम ऑप्टर इंटरकनकेक्शन समझौता करने में विफल रहते हैं तो ऐसे प्रसारक या मल्टी सिस्टम ऑप्टर, अधिनियम की धारा 14ए के उपबंध या फिलहाल लागू किसी अन्य कामना पर प्रतिकूल प्रभाव उठाते बगर तक्षिक भी समय प्राधिकरण से ऐसे समझौतों को करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं और प्राधिकरण प्रसारक और मल्टी सिस्टम ऑप्टर को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो उचित समझे जाएं।”
15. और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को अधिसूचित क्षेत्रों में एड्सेबल सिस्टम के साथ कॆबल टेलीविजन नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने के लिए कॆबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 11 के तहत केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

16. और इंटरकनेक्शन विनिमयों के विनिमय 3 के उपविनिमय (2) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक प्रसारक कॆबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 11 के तहत पंजीकृत प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को बगैर किसी में भेदभाव के अपने टीवी चैनलों के सिग्नल मुख्यतः कराएगा।

17. और न तो कॆबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 और ना ही इंटरकनेक्शन विनिमय प्रसारक को निम्नलिखित दस्तावेज मांगने का अधिकार देते हैं:—

(क) एमएसओ का डाक पंजीकरण प्रमाणपत्र क्योंकि एमएसओ को डीएसएस क्षेत्रों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकरण कराना जरुरी है;
(ख) परिचालन के प्रतिस्पर्धित क्षेत्र में कॆबल वाले घरों/परिवारों की संख्या;
(ग) एमएसओ नेटवर्क के उपभोक्ताओं के नाम और पते की सूची;
(घ) संबंध लोकल कॆबल ऑपरेटरों का विवरण;
(ङ) राइट-ऑफ—वे (आरओडब्ल्यू) अनुमति की प्रति;
(च) नगर निगम की अनुमति की प्रति;
(छ) एमएसओ की आवश्यक विवरण की प्रति;
(ज) सिग्नलों के ट्रांसमिशन के माध्यम तथा शिरोपारी या मूलिक तथा बारे में सूचना;
(झ) ट्रांमिशन उपकरण, हार्डवेयर/नियंत्रण कक्ष के बीमा विवरण की प्रति;
(ञ) टेड—एंड एड्स की तीज या किराया विलेख की प्रति; और
(ट) आपराधिक मामलों से संबंधित सूचना।

18. इसलिए अब प्राधिकरण भारतीय दूसरंसंचार विनियमक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (बी) के उपकंड (i) और (v) के साथ पदलह धारा 13 और दूसरंसंचार (प्रसारण एवं कॆबल सेवाएं) इंटरकनेक्शन (डिजिटल एड्सेबल कॆबल टेलीविजन सिस्टम) विनिमय, 2012 (2012 का 9) के उपकंडों के तहत मैसर्स टीवी 18 प्रूडक्ट्स लि. को उपभोक्ताओं को पुनःप्रसारित करने के उद्देश्य से टीवी चैनलों के सिग्नल मांगने के लिए डिजिटल एड्सेबल सिस्टम के जरिये कॆबल टीवी सेवाएं मुख्यतः कराने के लिए पंजीकृत मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों से निम्नलिखित दस्तावेज/सूचना नहीं मांगने का निर्देश देता है:—

(क) एमएसओ का डाक पंजीकरण प्रमाणपत्र क्योंकि एमएसओ को डीएसएस क्षेत्रों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकरण कराना जरुरी है;
(ख) परिचालन के प्रतिस्पर्धित क्षेत्र में कॆबल वाले घरों/परिवारों की संख्या;
(ग) एमएसओ नेटवर्क के उपभोक्ताओं के नाम और पते की सूची;
(घ) संबंध लोकल कॆबल ऑपरेटरों का विवरण;

Page 6 of 7
(२) राइट-ऑफ-वे (आरओडब्ल्यू) अनुमति की प्रति;
(३) नगर निगम की अनुमति की प्रति;
(४) एमएसओ की आवेदन कर विवरण की प्रति;
(५) सिग्नलों के ट्रांसमिशन के माध्यम से शिरोपारि या भूमिगत के बारे में सूचना;
(६) ट्रांसमिशन उपकरण, हार्डवेयर/नियंत्रण कक्ष के बीमा विवरण की प्रति;
(७) हेड-एंड एंड्र्स की लीज या किराया विलेख की प्रति; और
(८) आपराधिक मामलों से संबंधित सूचना।

और इस निर्देश के जारी होने की तारीख के दस दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश देता है।

(जी.एस. केंसरवानी)
उप-सलाहकार (बीईडसीएस)
फोनस नं.: 011-23220442

मैसर्स टीवी 18 ब्रोडकास्ट लि.
503, 504 और 507
5वीं पटेल, मर्केटइंग हाउस,
15, कस्तुरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली – 110001